

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 24.10.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 06 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 279 वाहनों से 3,15,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 24.10.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 279 वाहनों से 3,15,500 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

प्रेस नोट
जनपद – संतकबीरनगर
दिनांक 24.10.2026

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री संदीप कुमार मीना द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय के निकट पर्यवेक्षण में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के दौरान जनपद में चोरी जैसी घटनाओं के सफल अनावरण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद श्री जयप्रकाश दूबे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 866/2026 धारा 303(2),317(2) बीएनएस में वांछित अभियुक्त नाम पता आकाश पाण्डेय पुत्र बाल कृष्ण निवासी बूधाकला थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को ग्राम डीघा बाईपास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का विवरण- दिनांक 16.09.2026 को वादी श्री संतोष कुमार पुत्र ज्ञानदास निवासी ग्राम डीघा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को ट्रक चालक भगवान दास द्वारा माल लोड करने के बाद रात्रि लगभग 11:30 बजे मंडी पेट्रोल पंप, डीघा, खलीलाबाद के पास खड़ा किया गया था। रात्रि में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ट्रक की 02 बैटरियां एवं सेल्फ मशीन चोरी कर ली गईं। वादी द्वारा अपने स्तर से आसपास काफी खोजबीन की गई, लेकिन चोरी हुए सामान के संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। इस संबंध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर चोरी कर लेने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया गया था। प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत किया गया था।

बरामदगी का विवरण –02 अदद बैटरी व 2070 रुपये नकद।

गिरफ्तारी टीम- उ0नि0 श्री धर्मनाथ यादव, का0 अमृतेश मिश्रा, का0 मुश्ताक अली, का0 सत्येन्द्र कुमार यादव।